संख्या-415/2016/5583जेएल/22-3-16-200(3)/2016

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
आदर्श कारागार,
लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 26 अक्टूबर, 2016***

विषय- आदर्श कारागार (नारी बंदी निकेतन), लखनऊ की 03 महिला बंदियों को स्वीकृत 15 दिन के गृह अवकाश की अवधि में 15 दिन की वृद्धि किये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-324/2016/4602जेएल/22-3-16-200(3)/2016, दिनांक 29-08-2016 के अनुक्रम में आदर्श कारागार (नारी बंदी निकेतन), लखनऊ की महिला बंदियों-(1)फूलमती पत्नी श्री रामभजन, (2)कुन्ना देवी पत्नी श्री बच्चाराम एवं (3)सुन्दारा पुत्री श्री जफ्फू को पूर्व स्वीकृत गृह अवकाश के क्रम में एतदद्वारा 15 दिन की वृद्धि स्वीकृत की जाती है।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या-415/2016/5583जेएल(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in